

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांक: प.4(4)नविवि/II/2017

जयपुर, दिनांक 29 JUL 2021

—:आदेश:—

श्री हिम्मत सिंह गहलोत, सेवानिवृत्त अधिशाषी अभियन्ता को अभियोग संख्या 109/2016 में दिनांक 07.01.2017 को गिरफ्तार किये जाने के उपरान्त समसंख्यक आदेश दिनांक 17.02.2017 के द्वारा दिनांक 07.01.2017 से निलम्बित किया गया था। श्री गहलोत के विरुद्ध विचाराधीन प्रकरण संख्या 109/2016 में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने माननीय विशिष्ट न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम संख्या 01 जोधपुर में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 16.12.2020 के द्वारा श्री गहलोत को उन्मोचित कर दिया गया।

अतः श्री हिम्मत सिंह गहलोत, सेवानिवृत्त अधिशाषी अभियन्ता को अभियोग संख्या 109/2016 में माननीय न्यायालय द्वारा उन्मोचित किये जाने के परिप्रेक्ष्य में सक्षम स्तर से अनुमोदन पश्चात् निलम्बन से बहाल किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

— १२ —

(मनीष गोयल)

शासन संयुक्त सचिव—प्रथम

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
2. निजी सचिव, शासन प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
3. सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
4. संबंधित अधिकारी/कार्मिक।
- ✓ 5. रक्षित पत्रावली।

शासन संयुक्त सचिव—प्रथम